शिशु मंदिर से हिंदू विश्वविद्यालय तक एक छात्र के सफ़र से निकले अहम नोट्स

रोशन पाण्डे

मेरी पढ़ाई कक्षा शिशु (नर्सरी) से लेकर 11वीं तक आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल विद्या मंदिर में हुई. इन 12 वर्षों में जो कुछ वहाँ हो रहा था वह मेरे लिए सामान्य था. जब हम लंबे समय तक किसी खास तरह के माहौल में पले बढ़े होते हैं तो उसकी कमियों को नही देख पाते. अपने चारों ओर एक ही तरह की बातें सुनकर उसको ही सच मान लेते हैं. मेरी भी यही गति रही. आरएसएस के मुखपत्र, उसकी किताबों और उनके विचारकों द्वारा जो बातें सुनने को मिलती हैं वे बातें विद्या मंदिर की कक्षाओं में रोजाना बतायी जाती थीं. देखते ही देखते आप कब साम्प्रदायिक बन जाते हैं पता ही नही चलता. सबसे पहले आपको हिन्दू होने पर गर्व कराया जाएगा. फिर यह बताया जाएगा कि आप बाकी धर्मो से श्रेष्ठ हैं. उसके बाद यह तर्क होता है कि अतीत में हमने सारी तकनीकी विकसित कर ली थी लेकिन मुस्लिमों के आतंक ने हमें पीछे कर दिया. हिन्दू धर्म को बचाने के लिए ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जंग की बात की जाती है. छात्रों को शिविर और शाखाओं में लाया जाता है जहाँ उनके दिमाग में नफरत और हिंसा भरी जाती है.

ऐसी बातें जिनका इतिहास और वैज्ञानिकता से कोई नाता नहीं है, वे रोजाना की बातचीत का हिस्सा होती हैं. जैसे- देश में आज इतनी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि नेहरू ने रात 12 बजे आजादी को घोषणा कर दी, हस्तमैथुन से नपुंसकता आती है, आदमी तभी कामयाब हो सकता है जब वह स्त्री से उचित दूरी बनाए रखे, इत्यादि.

मुझे खुद नहीं पता कि यह सब सुनते-पढ़ते मैं कब गांधी, नेहरू और वामपंथियों का दुश्मन हो गया. वामपंथ शब्द से नफरत हो गयी थी क्योंकि मुझे बताया गया कि ये मानते हैं कि जिसके पास बंदूक है वो उसके दम पर सत्ता हांसिल कर सकता है. मैं खुद को मनु की संतान मानने लगा था. राष्ट्रीय प्रतीकों की राजनीति करने वाले संघ के स्कूल पर हमेशा भगवा ध्वज लहराता है. हमें यह बताया गया कि यही हमारा असली झंडा है. रोज सुबह प्रार्थना में गोलवलकर, सावरकर की बड़ी तस्वीर और उनके महिमामंडन से मुझे उनके करीब ला दिया. राम मंदिर मामले में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना था तब हम लोगों से जबरन 108 बार हनुमान चालीसा पढ़वायी गयी।

बनारस हिंदू युनिवर्सिटी आने के बाद जब आधुनिक विचारों से मैं रूबरू हुआ और अलग-अलग स्कूलों से आए दोस्तों से बात की, तब जाकर आरएसएस के स्कूलों का एजेंडा समझ आया. यूनिवर्सिटी आने के बाद जब इनको मैंने पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया कि किस खतरनाक एजेंडे के तहत हमारी पीढ़ियों को दंगाई बनाया जा रहा है. जातिवाद और पितृसत्ता का कूड़ा उनके दिमाग में ठूंसा जा रहा है. संवाद की कोई संस्कृति नहीं है यहां, शिक्षा डंडे के बल पर दी जाती है. एक शिक्षक जिसके द्वारा मेरा दो साल उत्पीड़न किया गया, मेरे सवाल करने पर वो डंडे बरसाने लगता. तब मुझे लगता था ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है जिसकी बुनियाद डर पर टिकी है लेकिन बाद में समझ आया कि आरएसएस की राजनीति की बुनियाद ही डर है. पहली कक्षा से यह बात सुनते आया हूँ कि इंसान को भगवान, माँ-बाप और शिक्षक से जरूर डरना चाहिए. वहाँ

डर एक संस्कार है जिसके नाम पर छात्रों के अंदर की क्रिएटिव और क्रिटिकल सोच का कत्ल कर दिया जाता है.

एक सोची समझी रणनीति के तहत 'हिंदुत्व' की राजनीति को इन शिशु मंदिरों के मायम से इस देश में उभारा गया. 1946 में गोलवरकर ने प्रथम आरएसएस स्कूल की स्थापना गीता स्कूल के नाम से की. महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया. जनता में इसका असली चेहरा सामने आ चुका था. आनन-फानन में सरस्वती शिशु मंदिर मॉडल लाया गया और 1952 में गोरखपुर से पहले शिशु मंदिर की शुरुआत हुई. 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विद्या भारती की स्थापना हुई और बड़े स्तर पर स्कूली शिक्षा में आरएसएस ने हस्तक्षेप शुरू किया. तमाम सामाजिक कार्यों के जरिए संघ लोगों से जुड़कर पहले जनसंघ और अब भाजपा के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश करता रहा है. 1997 में आरएसएस के सुरुचि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'परम वैभव के पथ पर' में संघ द्वारा बनाए गये 30 से ज्यादा संगठनों का जिक्र है जो हिंदुत्व के एजेंडे पर अलग-अलग पहचानों के साथ काम कर रहे हैं. इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नाम शामिल है.

कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि भारत में साम्प्रदायिक हिंसा और हिंदुत्व का एजेंडा फैलाने के लिए इसे भारी मात्रा में विदेशी सहयोग भी मिलता है. 11 जुलाई 2014 को फ्रंटलाइन में छपी अजय आशीर्वाद की रिपोर्ट 'होली काउ' के अनुसार 1994 से 2000 के बीच सिर्फ अमेरिका से पांच मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग हुई है. यह फंडिंग इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फण्ड (IDRF) के माध्यम से हुई थी. संघ व उसकी अनुषंगी संस्थाओं को विदेश में मिलने वाले अनुदान पर एक विस्तृत रिपोर्ट ' 'हिंदू नेशनलिज्म इन द युनाइटेड स्टेट्स'' के नाम से साउथ एशिया सिटिजंस वेब पोर्टल के माध्यम से सामने आई थी जिसे नीचे पूरा पढ़ा जा सकता है।

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में विद्या भारती द्वारा 40 हजार स्कूल संचालित किए जा रहे हैं जिसमें 40 लाख से ज्यादा छात्र दाखिल हैं. इन स्कूलों में लाखों शिक्षक हैं जो रोज सुबह शाखाओं में जाते हैं. ये शिक्षक अपने परिवार के मुखिया भी हैं. स्कूली शिक्षा का उद्देश्य होता है तर्कशील नागरिक तैयार करना जो अपने अधिकारों और समाज को लेकर संवेदनशील हो. स्वतंत्र दिमाग का व्यक्ति ही अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकता है और लोकतान्त्रिक समाज की स्थापना कर सकता है, लेकिन आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल छात्र के दिमाग को संकीर्ण बना देते हैं और उसके व्यक्तित्व विकास की संभावनाओं को रोक देते हैं. इस तरह के संगठन भारतीय लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं. ये सच है कि सबको अपनी विचारधारा प्रैक्टिस करने का अधिकार है लेकिन क्या समाज को हिंसा की आग में धकेलने वालों को इसकी छूट दी जा सकती है?

हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से निकले मूल्य आज खतरे में हैं. धर्मनिरपेक्षता समाज में गाली बनती जा रही है. नब्बे साल से समाज में नफरत फैलाने वाले आज सत्ता में हैं. पाठ्यक्रम तेजी से बदले जा रहे. किताबें हमें और ज्यादा साम्प्रदायिक बनाने का जरिया बनती जा रही. हम जो नागरिक समाज बनने की प्रक्रिया में थे अब दंगाई होते जा रहे हैं।

जमीन से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में सड़क पर उतरे हजारों आदिवासी

अंततः सरकार को आगे आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को स्थगित किया

देश के 17 राज्यों के 10 लाख से ज्यादा आदिवासी और वन-निवास वाले परिवारों को बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में आदिवासी समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में आदिवासियों को 27 जुलाई, 2019 को अगली सुनवाई से पहले हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि करीब 11 लाख आदिवासी बेघर होंगे लेकिन असल स्थिति इसके करीब दोगुनी बताई जा रही है।

फोरेस्ट एंड लैंड राइट्स द्वारा जंगल जमीन अधिकार पदयात्रा 20 फरवरी से जारी है जो सात दिन तक चलेगी। झारखंड के आदिवासी रांची में जल, जंगल और ज़मीन के साथ-साथ अपनी पैतृक संपत्ति के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों की उपेक्षा की है, इसलिए उन्होंने अब सड़कों पर अभियान चलाने का फैसला किया है।

विरोध प्रदर्शन के पहले दिन हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज, न्यू हजारीबाग स्टेडियम में भूमिहीन किसानों और जनजातीय समुदायों के लोगों का भारी जत्था एकत्र हुआ। अपने जंगल और पैतृक भूमि के मूल अधिकारों की मांग करने के लिए लगभग 20,000 आदिवासी इकट्ठा हुए। आदिवासी अपने खाने पीने का सामान भी साथ लिए हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम चावल, 2 किग्रा आलू, चीनी, नमक और दाल से भरा एक बैग ले जाना आवश्यक था ताकि जरूरत के समय वे खाना बनाकर खा सकें।

आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2018 तक खारिज किए गए दावेदारों की कुल संख्या 18.29 लाख है। इस फैसले ने उन लोगों में दहशत पैदा कर दी है जिनके अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत संरक्षित हैं।

वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करने में भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की विफलता के कारण 10 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार उनके पारंपरिक इलाकों से हटा दिए जाएंगे।

कोर्ट के इस फैसले से आदिवासी बहुल मध्यप्रदेश के सबसे ज्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे। यह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का ब ?ा महत्वकांक्षी कानून था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा है, ''आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अनुसार 45 फीसदी से भी कम व्यक्तिगत दावे और 50 फीसदी से भी कम सामुदायिक दावे मान्य किए गए हैं।

मंत्रालय ने यह इंगित किया है कि वन अमले के बेतुके आपत्ति के कारण दावे निरस्त हुए हैं। ...बढ़े स्तर पर कार्रवाई करने से पहले यह जरूरी है कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, या जो आप उचित समझें। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन उनके जीवन का हिस्सा है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला विंग की अध्यक्ष महुआ मांझी ने न्यूजक्लिक से बात करते हुए कहा, हम वनवासियों के मामले का बचाव नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया क्योंकि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी बनाए रखी। हम केंद्र सरकार से आदिवासियों को बेदखली से बचाने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर करने का आग्रह कर रहे हैं। देखिए, झारखंड के नाम में ही झार शब्द शामिल है जिसका अर्थ है जंगल। यहां लाखों वनवासी निवास करते हैं।

राजस्थान में, आदिवासी समूहों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अस्वीकार कर दिया है और इसे "उत्तेजक" करार दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, "राजस्थान में 37,000 के करीब ऐसे परिवार हैं, जो दावा करते हैं कि पैतृक अधिकारों को ख़ारिज़ के तहत खारिज कर दिया गया है। इनमें अकेले बांसवाड़ा के 16,000 परिवार शामिल हैं, जिन्हें अब बेदखली का खतरा है।"

उड़ीसा में नियामगिरि पहाड़ियों में डोंगरिया कोंध समुदाय के 8,000 से ज्यादा लोगों का घर है। यह एक आदिवासी समूह है जो राज्य-सरकार की खनन परियोजना के खिलाफ लड़े थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हिल गए हैं। आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन नीमगिरी समिति के संयोजक लिंगराज आजाद ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "यदि यह आदेश लागू किया जाता है, तो पीढ़ियों से वन भूमि में रहने वाले सैकड़ों आदिवासियों को अपना मूल निवास खाली करना होगा ... हम अपने अधिकार के लिए एक आंदोलन शुरू करेंगे।"

वनवासियों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए 2 मार्च को विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया जाएगा। न्यूज़क्लिक के साथ बात करते हुए, आदिवासी के लिए राष्ट्रीय अभियान के संयोजक अभय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक कठोर आदेश है और केंद्र को आदिवासियों की दुर्दशा के प्रति उदासीन होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पिछली तीन सुनवाई में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का कोई वकील इस मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं था। अब, वे 4 महीनों में 20 लाख से अधिक आदिवासियों को बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करोगे? हम 2 मार्च और 8 को बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। भारत में काम कर रहे सभी आदिवासी और वन अधिकार समूह समन्वय कर रहे हैं और यह एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है।

आदिवासी युवाओं, छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित लगभग 10,000 लोगों ने आदिवासियों के विरोध मार्च में हिस्सा लिया। उनकी प्राथमिक मांगों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1) उन मामलों को वापस लिया जाए जो वन विभाग द्वारा गलत तरीके से आदिवासियों के खिलाफ दायर किए गए हैं।

2) सरकार को किसी भी तरह से भूमि अधिग्रहण से पहले ग्रामीणों से अनुमति लेनी होगी।

3) एक ऐसा आदिवासी निकाय बनाया जाए जो आदिवासी अधिकारों को लागू करे।

4) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि अधिकारों के बारे में 6 महीने के भीतर ईश्योर किया जाए।

5) गैर-लकड़ी वन उपज का मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य नियमित किया जाना चाहिए ताकि पारंपरिक वन आवास समुदाय ग्राम पंचायत के माध्यम से एनटीएफपी का लाभ उठा सकें और उनका निपटान कर सकें।

6) सीएनटी एक्ट (छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट) और एसपीटी एक्ट (संथाल परगना टेनेंसी एक्ट) को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

7) सामूहिक भूमि को भूमि बैंक की पकड़ से मुक्त किया जाना चाहिए।

8) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को तत्काल लागू किया जाए।

कश्मीर लो!

विकास नारायण राय

'राष्ट्रवादी' को
अपना कश्मीर चाहिये था
हर क़ीमत पर
बेशक मिला ;
कश्मीरियों की क़ीमत पर!
'जेहादी' को भी
अपना कश्मीर चाहिये था
हर क़ीमत पर
बेशक मिला ;
मुज़फ़्फ़राबादियों की क़ीमत पर!

हुक्काम
दोनों मुल्क में
अवाम को
कश्मीर ही तो देता आ रहा है!

माँगो न माँगो
चाहो न चाहो
कश्मीर मिलेगा
कश्मीर लेना पड़ेगा!
शराफ़त से लो
नहीं तो हलक में डाल कर देंगे!

अपना-अपना कश्मीर लो
अलग-अलग नाम से लो
बांग्लादेश
सिंध
बलूचिस्तान
छत्तीसगढ़
झारखंड
असम
मिज़ोरम
और सबसे ताज़ातरीन
अरुणाचल!